न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
18 / 2023	2023 / 147	05.10.2023	21.06.2024

श्री केवजी पिता हेमता मीणा उम्र व्यस्क निवासी ठाकरा उचित मुल्य दुकान रोहनिया FPS कोर्ड संख्या 15233 ग्राम पंचायत रोहनिया तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

:— विपक्षीगण

अपील बनाराजगी प्रकरण संख्या 32 / 2023 निर्णय दिनांक 09.06.2023 (निलम्बन आदेश क्रमांक :— रसद / अभियोजन / 2023 दिनांक 03.03.2023)

उपस्थिति :—

1. श्री वरदीचन्द्र मीणा (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. पैरोकार सरकार रसद

—: आदेश :— दिनांक :—21.06.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध बनाराजगी प्रकरण संख्या 32 / 2023 निर्णय दिनांक 09.06.2023 (निलम्बन आदेश क्रमांक :— रसद / अभियोजन / 2023 / 32 / 2023 दिनांक 03.03.2023) के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 03.03.2023 को अपीलार्थी को एक कारण बताओं नोटीस क्रमांक :— रसद / अभियोजन / 2023 / 32 / 2023—C दिनांक 03.03.2023C जारी करते हुए दिनांक 10.03.2023 तक उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब देने हेतु पाबंद किया गया था।

उक्त कारण बताओं नोटिस अनुसार अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत रोहनिया के ग्राम वासीयान द्वारा जिला कलक्टर महोदय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि अपीलार्थी द्वारा माह फरवरी—2023 में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों से पॉश मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त वास्तविक रूप से गेहुँ वितरण नहीं करना गंभीर अनियमितता है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा श्रीमान जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर मौखिक रूप से वस्तु स्थिति की जानकारी सहीत प्राप्त नोटिस अनुसार जवाब दे दिया गया था तथा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत रोहनिया एवं अन्य ग्राम वासीयान द्वारा दिनांक 18.05.2023 को जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर अपीलार्थी द्वारा समुचित राशन वितरण करने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका था।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

486

साथ ही जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 03.03.2023 एवं 05.04.2023 तथा 06.06.2023 के अनुसार अपीलार्थी को निलंबित करने उपरान्त उसके पास उपलब्ध समस्त राशन सामग्री वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में FPS code 15233 हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार श्री लक्ष्मण मीणा को 21 क्विंटल गेहुँ तथा FPS code 15232 की सामग्री अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार श्री प्रेम कुमार को 19 क्विंटल गेहुँ अन्तरित किया जाना था उक्त समस्त राशन सामग्री अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2023 को अधिकृत दुकानदार श्री लक्ष्मण मीणा एवं प्रेमचन्द्र परमार को उपलब्ध करा दी गई थी। जिसकी रसीद भी उक्त वैकल्पिक दुकानदारान द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी थी। जो रिकार्ड पत्रावली पर संलग्न है। बावजुद इसके भी जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित प्रकरण संख्या 32/2023 में दिनांक 09.06.2023 को आदेश जारी कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जो न्याय एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट/विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये जिसकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट/विपक्षी (जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़) कि ओर से पैरोकार सरकार रसद उपस्थित हो सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी वर्ष 2003 से लगातार उचित मूल्य दुकान रोहनिया FPS Code 15233 को संचालन करता चला आ रहा है किन्तु उसके विरूद्ध आदिनांक तक कोई अनियमितता की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध जिला जनसुनवाई दिनांक 03.03.2023 को जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत शिकायत अन्यथा राजनैतिक द्वेशता पूर्वक प्रस्तुत की गई थी। जिसका खण्ड़न भी सरपंच ग्राम पंचायत रोहनिया एवं अन्य ग्राम वासीयान द्वारा दिनांक 18.05.2023 को लिखित रूप में जिला रसद अधिकारी के समक्ष स्पष्टिकरण भी प्रस्तुत किया जा चुका था। यह तथ्य भी संज्ञान योग्य है कि वक्त शिकायत अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान FPS संख्या 15233 एवं 15232 दोनों का चार्ज था। जिसके वैकल्पिक व्यवस्था में अधिकृत दुकानदार श्री श्री लक्ष्मण मीणा एवं प्रेमचन्द्र परमार को अन्तरित की जाने वाली राशन सामग्री 21 क्विंटल एवं 19 क्विंटल गेहुँ पृथक-पृथक रिकार्ड में जमा कराया जाना था जिसके उक्त राशन सामग्री के अन्तरण में विलबं हुआ था किन्तु समस्त राशन सामग्री उक्त दोनों वैकल्पिक राशन डीलरों को विधिवत् अन्तरित की जा चुकी थी। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमिता अथवा गबन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पास रोजगार का ओर कोई साधन नहीं है तथा उसके परिवार का समुचित पालना-पोषण इस उचित मूल्य की दुकान से ही होता है। जिससे अपीलार्थी के पक्ष में नरमाई का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल फरमावें।

इसी क्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार रसद द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों का आंशिक रूप से खण्ड़न करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के आधार पर विधिवत् जानकारी प्राप्त करते हुए की गई थी तथा अपीलार्थी को सूनवाई का समुचित अवसर दिये जाने तथा उसके पास उपलब्ध राशन सामग्री को वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप नियुक्त उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिस पर अपीलार्थी द्वारा शिथिल रूख अपनाते हुए ठीले ठाले तरिके से निलंबन कार्यवाही दिनांक 03.03.2023 के पश्चात् दिनांक 08.06.2023 को समस्त सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। जिसके आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण मेरिट पर निर्णित फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक प्रचलित विधियों के परिपेक्ष्य में अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 20.06.2023, निलबंन आदेश एवं कारण बताओं नोटिस दिनांक 03.03.2023 एवं निर्णय दिनांक 09.06.2023 तथा समस्त नकल आदेशिकाएं प्रकरण संख्या 32/2023, कारण बताओं

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

नोटिस दिनांक 05.04.2023, ग्राम पंचायत रोहनिया पत्र दिनांक 20.05.2023, जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पत्र दिनांक 03.03.2023, एवं सामग्री प्राप्ति रिपोर्ट दिनांक 08.06.2023 तथा संलग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही जनसुनवाई में प्राप्त शिकयत के आधार पर किया जाना दर्शित रिकार्ड आया है साथ ही उक्त शिकायत एवं कार्यवाही के उपरान्त सरपंच ग्राम पंचायत रोहनिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2023 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण का कार्य समुचित तरीके से किया जाना भी दर्शित रिकार्ड होकर पैरोकार सरकार द्वारा उक्त अन्तरण को स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई ठोस अनियमितता या गबन किये जाने संबंधी कोई तथ्य सामने नहीं आये है। साथ ही अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में कोई अनियमितता का प्रकरण दर्ज हुआ हो रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के एक पढे लिखे आदिवासी होने के आधार पर उसे किसी तकनिकी भूल के आधार पर रोजगार से वंचित करना उचित नहीं होगा को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलार्थी उचित हिदायत कि अपीलार्थी भविष्य में वितरण कार्य पूर्ण सावधानी के साथ निष्पादित करेगा की शर्त के साथ न्यायहित में अपील अपीलार्थी स्वीकृत योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार रोहनिया FPS code संख्या 15233 मय प्रतिभूमि राशि बहाल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ